बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
अधिसूचना

संख्याः–वन क्षेत्र पदा0–06/2012........................../प०व०, पटना–15, दिनांकः ....

भारत-संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते), नियमावली, 2013 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–**

(1) यह नियमावली, "बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2020" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना की तिथि से प्रवृत होगी।

2. **वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते), नियमावली, 2013 का नियम–2(ii) का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली का नियम–2(ii) को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगाः–**

2(ii) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित अन्य कोई पर्षद्/आयोग/प्राधिकार ;

3. **वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते), नियमावली, 2013 का नियम–11 का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली का नियम–11 को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगाः–**

11 **लिखित परीक्षा।–** आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। लिखित परीक्षा के लिये कुल अंक, परीक्षा के विषयों का विनिश्चय आयोग द्वारा किया जायेगा। परीक्षा के परीक्षाफल हेतु न्यूनतम अर्हतांक के संबंध में निर्णय आयोग द्वारा बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार लिया जायेगा। लिखित परीक्षा के मानक एवं प्रक्रिया का निर्धारण आयोग के द्वारा किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

118

ज्ञापांक: **वन क्षेत्र पदा0—06 / 2012.................... / प०व०,** पटना—15, दिनांक: ....

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / —

(दीपक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक: **वन क्षेत्र पदा0—06 / 2012.................... / प०व०,** पटना—15, दिनांक: ....

प्रतिलिपि—अवर सचिव, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को (सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित) बिहार राजपत्र के अगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ।

2. इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियों पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह० / —

(दीपक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक: **वन क्षेत्र पदा0—06 / 2012.................... / प०व०,** पटना—15, दिनांक: ....

प्रतिलिपि—महामहिम राज्यपाल के सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / मुख्य सचिव, बिहार / सभी विभागीय प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / अध्यक्ष, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना / माननीय उप मुख्य (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन) मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग / विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / —

(दीपक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक: वन क्षेत्र पदा0—06 / 2012 2081 **/ प०व०, पटना—15, दिनांक:** 29/06/2020

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना / सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / सभी मुख्य वन संरक्षक / सभी वन संरक्षक / सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/6/2020

(दीपक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव